

21.01.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी को बार-बार उत्तर दिये जाने के बावजूद भी वकील वादी द्वारा शतिवादीगण की तलबी नहीं कराई गई है। कता वादीगण का बापज तलबी के सभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दीपक चन्दन)

RAS
उपखण्ड अधिकारी
बड़साना